ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ANSARI NAGAR, NEW DELHI – 110029
(ACADEMIC SECTION)

No.F.1-2/ASPT (SMG)/2026 Dated: 22 June 2026

OFFICE-MEMORANDUM

Subject:- **Comprehensive Social Media Guidelines for Students/Residents and Employees of AIIMS, New Delhi.**

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority regarding the Social Media Guidelines for students/residents and employees of AIIMS, New Delhi, for implementation, with immediate effect.

1. PURPOSE AND RATIONALE

Social media platforms are powerful tools for outreach, engagement, and communication. However, improper use of institutional branding or representation without authorisation can lead to reputational damage and legal complications. This document aims to provide guidance for students/residents and employees.

2. SCOPE OF THE GUIDELINES:

These guidelines are applicable to all individuals and entities affiliated with AIIMS, New Delhi:

- Students enrolled in any undergraduate, postgraduate, doctoral, or super-speciality programs.
- Student associations, societies, clubs, and organising committees recognised by AIIMS (ASA, RDA, SYS, etc.).
- Faculty members, researchers, and administrative staff who communicate on behalf of or in connection with AIIMS.
- Departments, centres, and institutional bodies operating official or semi-official digital communication channels.
- Any third-party collaborators or invitees granted temporary or delegated access to the institute.

3. USE OF AIIMS NAME AND LOGO

No student, employee, or associated body shall use the name "AIIMS, New Delhi", AIIMS logo, emblem, or official branding in any form (digital or print) without prior written approval from the concerned department.

- **Unauthorised use includes but is not limited to:**

  - Event posters, banners, and social media posts.
  - Instagram, Facebook, Twitter handles that suggest official representation.

1/-

- Videos, reels, or blogs that use AIIMS branding for promotional purposes.
- Any use of the name/logo must align with official branding standards prescribed by AIIMS.

4. **LEGAL AND ETHICAL COMPLIANCE**

Patient Confidentiality:

- Never post, share, or discuss any patient information, images, or case details on social media, even if the patient is not identified.
- This is mandated under the Indian Medical Council Regulations, 2002 and the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

Copyright and Intellectual Property:

- Do not share copyrighted material without proper authorisation or citation.

Anti-Ragging & Anti-Bullying:

- Do not post or forward content that is harassing, threatening, or discriminatory.
- Comply with UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Obscenity and Hate Speech:

- Do not post obscene, defamatory, or hate speech content as per applicable laws.

5. **ACADEMIC INTEGRITY**

- Do not engage in plagiarism or academic dishonesty on social media platforms.
- Do not share exam questions, answer keys, or other confidential academic materials.

6. **SOCIAL MEDIA ACCOUNT GOVERNANCE**

- Student bodies and employees managing official content must:
  - Register official social media accounts with the concerned department.
  - Provide names, contact details, and institutional email IDs of the admin team.
  - Appoint a Media Coordinator as the point of contact for content approval.
- Accounts must clearly mention that the content is student-generated or department-generated and not officially endorsed unless stated otherwise.
- Content must not disclose confidential, sensitive, or internal information.
- Avoid political, religious, or defamatory material.
- Maintain a respectful and professional tone aligned with AIIMS values.
- Sponsored content or collaborations with external brands require special clearance.

2/-

7. LEGAL AND DISCIPLINARY PROVISIONS

- Misuse of AIIMS identity may attract legal consequences under applicable laws.
- Internal disciplinary action may include:
  - Written warnings
  - Suspension of association or access privileges
  - Derecognition of the student body
  - Ban on participation in institutional events or denial of permission for such activities

8. MONITORING AND TAKEDOWN POLICY

- The concerned department reserves the right to monitor social media for compliance.
- In case of non-compliance, a takedown notice will be issued. Content must be removed within 12 hours of notice.

These guidelines are binding on all students/residents, employees, and associations functioning under the AIIMS, New Delhi umbrella. Non-adherence will invite appropriate institutional or legal action.

In this context, all Heads of Departments (HoDs)/Chiefs of Centres (CoCs) are requested to circulate these guidelines among all faculty members, residents, research staff, students, administrative personnel, and other employees under their administrative control for immediate compliance.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Prof. Girija Prasad Rath
REGISTRAR

Distribution:-

1. All Heads of Departments/Chiefs of Centres, AIIMS New Delhi.
2. PPS/PA to Director, AIIMS
3. PPS to Dean (Academics)/Dean (Research)/Dean (Examinations)
4. PPS /PA to AD(Admn.)/Dy. Secretary
5. PS to Medical Superintendent (MS)/ Superintendent Engineer (SE)
6. PS/PA to Assoc. Dean (Acad)/Registrar
7. PIC, Faculty Cell/Media Cell/Protocol Division/Computer Facility
8. Chief Administrative Officer (CAO)
9. President FAIMS/President, ASA, President, RDA, Chairman, SYS
10. President/ Secretary Officers Association, Nurses Association, AIIMS Karamchari Union
11. All Notice Boards
12. Sr. Hindi Officer, kindly translate the circular into Hindi Version
13. Content Provider to kindly circulate the circular to all HoDs/CoCs and upload the same on the AIIMS website.

3/-

<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029
(शैक्षिक अनुभाग)

फा.सं.1-2/एएसपीटी (एसएमजी)/2026 दिनांक: 22 जून 2026

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- **एम्स, नई दिल्ली के छात्रों/रेज़िडेंटों एवं कर्मचारियों हेतु व्यापक सोशल मीडिया दिशा-निर्देश।**

अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एम्स, नई दिल्ली के छात्रों/रेज़िडेंटों एवं कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के संबंध में निदेश हुआ है।

1. <u>उद्देश्य एवं औचित्य</u>

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रचार, सहभागिता और संचार के सशक्त साधन हैं। हालांकि, बिना अनुमति के संस्थागत ब्रांडिंग या प्रतिनिधित्व का अनुचित उपयोग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य छात्रों/रेज़िडेंटों एवं कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।

2. <u>दिशा-निर्देशों का दायरा:</u>

ये दिशा-निर्देश एम्स, नई दिल्ली से संबंधित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होते हैं:

- स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट या अति-विशिष्टता कार्यक्रमों में पंजीकृत छात्र।
- एम्स द्वारा मान्यता प्राप्त छात्र एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब और आयोजन समितियां (एएसए, आरडीए, एसवाईएस, आदि)
- एम्स की ओर से या एम्स के संबंध में संप्रेषण करने वाले संकाय-सदस्य, शोधकर्ता और प्रशासनिक कर्मचारी।
- आधिकारिक या अर्ध-आधिकारिक डिजिटल संचार चैनलों का संचालन करने वाले विभाग, केंद्र और संस्थागत निकाय।
- संस्थान में अस्थायी अथवा प्रत्यायोजित पहुंच प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष के सहयोगी अथवा अतिथिगण।

3. <u>एम्स के नाम और लोगो का उपयोग</u>

कोई भी छात्र, कर्मचारी या संबद्ध निकाय, संबंधित विभाग से पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में "एम्स, नई दिल्ली" नाम (डिजिटल या प्रिंट), एम्स लोगो, प्रतीक चिन्ह या आधिकारिक ब्रांडिंग का उपयोग नहीं करेगा। नई दिल्ली

- **<u>अनधिकृत उपयोग में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:</u>**

- कार्यक्रम के पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया पोस्ट।
- इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल जो आधिकारिक प्रतिनिधित्व का संकेत देते हैं।
- विडियो, रील या ब्लॉग जिनमें प्रचार उद्देश्यों के लिए एम्स ब्रांडिंग का उपयोग किया जाता है।
- नाम/लोगों का कोई भी उपयोग एम्स द्वारा निर्धारित आधिकारिक ब्रांडिंग मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

4. <u>कानूनी एवं नीतिपरक अनुपालन</u>

<u>रोगी की गोपनीयता:</u>

- किसी भी रोगी की जानकारी, तस्वीरें या केस से संबंधित विवरण सोशल मीडिया पर कभी भी पोस्ट, साझा या उस पर चर्चा न करें, भले ही रोगी की पहचान उजागर न हुई हो।
- यह भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमावली, 2002 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत अनिवार्य है।

<u>कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा:</u>

- उचित अनुमति अथवा संदर्भ के बिना कॉपीराइट सामग्री साझा न करें।

<u>रैगिंग एवं बुलिंग रोधी:</u>

- ऐसी सामग्री पोस्ट अथवा फॉरवर्ड न करें जो उत्पीड़नकारी, धमकी भरी या भेदभावपूर्ण हो।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने संबंधी यूजीसी विनियमावली, 2009 का अनुपालन करें।

<u>अश्लीलता एवं घृणास्पद भाषण:</u>

- लागू कानूनों के अनुसार अश्लील, मानहानिकारक अथवा घृणास्पद सामग्री पोस्ट न करें।

5. <u>शैक्षिक सत्यनिष्ठा</u>

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साहित्यिक चोरी अथवा शैक्षिक बेईमानी में शामिल न हों।
- परीक्षा के प्रश्न, उत्तर कुंजी या अन्य गोपनीय शैक्षिक सामग्री साझा न करें।

6. <u>सोशल मीडिया अकाउंट गवर्नेंस</u>

- छात्र निकायों और आधिकारिक सामग्री का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
  - संबंधित विभाग के साथ आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पंजीकृत करें।
  - प्रशासनिक टीम के सदस्यों के नाम, संपर्क विवरण और संस्थागत ईमेल आईडी प्रदान करें।
  - सामग्री अनुमोदन के लिए संपर्क सूत्र के रूप में एक मीडिया समन्वयक नियुक्त करें।

- एकांउट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि सामग्री छात्र-निर्मित है या विभाग-निर्मित है और आधिकारिक तौर पर समर्थित नहीं है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- सामग्री में गोपनीय, संवेदनशील या आंतरिक जानकारी का खुलासा नहीं होना चाहिए।
- राजनीतिक, धार्मिक या मानहानिकारक सामग्री से बचें।
- एम्स के मूल्यों के अनुरूप सम्मानजनक और पेशेवर लहजा बनाए रखें।
- प्रायोजित सामग्री या बाहरी ब्रांडों के साथ सहयोग के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है।

7. <u>कानूनी एवं अनुशासनात्मक प्रावधान</u>

- एम्स की पहचान का दुरुपयोग करने पर लागू नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
  - लिखित चेतावनी
  - एसोसिएशन अथवा पहुंच संबंधी विशेषाधिकारों का निलंबन
  - छात्र निकाय की मान्यता रद्द करना
  - संस्थागत कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध या ऐसी गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान न करना।

8. <u>निगरानी एवं टेकडाउन नीति</u>

- संबंधित विभाग अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- नियमों का पालन न करने पर, टेकडाउन नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के 12 घंटों के भीतर सामग्री को हटाना अनिवार्य है।

ये दिशा-निर्देश एम्स, नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत सभी छात्रों/रेज़िडेंटों एवं कर्मचारियों तथा एसोसिएशन पर लागू हैं। इनका अनुपालन न करने पर संस्थागत अथवा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संदर्भ में, सभी विभागाध्यक्षगण /केन्द्र प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन दिशा-निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संकाय सदस्यों, रेजीडेंट डॉक्टरों, शोध कर्मचारियों, छात्रों, प्रशासनिक कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के बीच तत्काल अनुपालन के लिए परिचालित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रो. गिरिजा प्रसाद रथ

कुल-सचिव

<u>वितरण-:</u>

1. सभी विभागाध्यक्षगण/केन्द्र प्रमुखगण, एम्स नई दिल्ली
2. निदेशक महोदय, एम्स के प्रधान निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक

3. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/संकायाध्यक्ष (अनुसंधान): संकायाध्यक्ष (परीक्षा) के प्रधान निजी सचिव
4. अपर निदेशक (प्रशासन) उप-सचिव के प्रधान निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक
5. चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षण अभियंता के निजी सचिव
6. सह-संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/कुलसचिव के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक
7. प्रभारी-आचार्य, संकाय प्रकोष्ठ/ मीडिया प्रकोष्ठ/ प्रोटोकॉल प्रभाग/कंप्यूटर सुविधा
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ)
9. अध्यक्ष, एफएआईएमएस/अध्यक्ष, एएसए/अध्यक्ष, आरडीए/अध्यक्ष, एसवाईएस
10. अध्यक्ष/सचिव, ऑफिसर्स एसोसिएशन, नर्सिस एसोसिएशन, एम्स कर्मचारी यूनियन
11. सभी सूचना पट्ट
12. कंटेंट प्रोवाइडर से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को सभी विभागाध्यक्षों/समिति अधिकारियों को परिचालित करें और इसे एम्स वेबसाइट पर अपलोड करें।